न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 151/2022

1 श्रीचन्द पुत्र लादुराम
2 नरेन्द्र पुत्र मामराज
3 सुनिल कुमार पुत्र माम़राज
4 सहीराम पुत्र खांगा
5 शिशपाल पुत्र महावीर
समस्त जाति जाट निवासीगण जयसिंहपुरा तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
6 रतिराम पुत्र खांगा फौत
6/1 सरिता पत्नी सुनिल कुलहरि पुत्री रतिराम जाति जाट निवासी नवलड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
6/2 सुनिता पत्नी सुरेश पुत्री रतिराम जाति निवासी बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
6/3 राजवीर पुत्र रतिराम
6/4 बसन्त पुत्र रतिराम जातिगण जाट निवासी ढाका का बास तन निवाई तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 हरलाल पुत्र उदा जाति मेघवंशी
2 लालचन्द पुत्र फुलचन्द जाति मेघवंशी
3 सुरेश पुत्र मोती जाति गुसाई
4 जगदीश पुत्र मोती जाति गुसाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

5 बजरंग पुत्र मोती जाति गुसाई निवासीगण गुसाई की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
6 छोटेलाल पुत्र महावीर
7 धनेश पुत्र महावीर
8 प्रहलाद पुत्र महावीर
9 श्रवण पुत्र महावीर जाति जाट निवासीगण जयसिंहपुरा तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
10 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
11 शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बडवासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
12 भंवरी पुत्री मोती
13 संजु पुत्री मोती
14 मोहनी पत्नी मोती जाति गुसाई निवासीगण गुसाई की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक नवलगढ़ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी हरलाल बनाम श्रीचन्द वगैरह प्रार्थना पत्र नम्बर 90/2021 आदेश दिनांक 26.08.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री मदन सिंह गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः–12.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 90/2021 में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्टस ने एक प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा वाके ग्राम गुसाई की ढाणी पटवार हल्का कारी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम वासियान ढाणी गुसाई ने उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ को गुसाई की ढाणी के खसरा नम्बर 2074/33, 2075/33, 1947/29, 1946/29 में से होते हुये ढाका का बास जोन वाले रास्ते के खातेदारों के बंद करने पर खुलवाने की शिकायत की उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 16.06.2021 को तहसीलदार नवलगढ़ को पत्र लिखा तहसीलदार नवलगढ़ ने दिनांक 23.06.2021 पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट चाही पटवारी हल्का ने 28.06.2021 को खसरा नम्बर 1946/29, 1947/29, 2075/33, 2074/33 की सीमाओं के मध्य पुराने रास्ते बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार नवलगढ़ ने प्रकरण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

संख्या 06/2021 सरकार बनाम सुरेश वगै. दर्ज कर अपने आदेश दिनांक 06.12.2021 द्वारा पटवारी मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ता खोले जाने का आदेश पारित किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने श्रीचन्द एवं राजस्थान सरकार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद जिसमें वाद कारण 18.10.2021 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 10 व प्रतिवादी संख्या 11 राज्य सरकार द्वारा रास्ता खोलने की कोशिश वाद कारण लेकर वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद के साथ रेस्पोडेन्ट न. 1 लगायत 5 ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो प्रार्थना पत्र नम्बर 90/2021 दर्ज हुआ उक्त प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय ने 26.08.2022 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी का आदेश दिया कि खसरा नम्बर 1948/29, 1948/70, 77 खसरा नम्बर 2071/32, 2075/33 भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु एवं पूर्व के अन्तरिम आदेश को कन्फर्म किया। रेस्पोडेन्ट ने दावा में वाद कारण तहसीलदार द्वारा रास्ता खुलवाने पर वाद कारण होना दर्ज किया मुख्य अनुतोष भी तहसीलदार के खिलाफ चाहा लेकिन रेस्पोडेन्टगण ने धारा 80 सीपीसी की पालना नहीं की इसलिये रेस्पोडेन्टगण का दावा चलने लायक नहीं है। तहसीलदार धारा 251 के तहत रास्ता खुलवाने के लिये सक्षम अधिकारी है सक्षम अधिकारी के आदेश कायम रहते वादीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में सुखाधिकार के मामलों में काश्तकार को पड़ौसी काश्तकारों के खेतों की मेड़ मेड़ आने जाने का अधिकार है किसी व्यक्ति सिविल अधिकारों को खत्म करने के लिये आदेश पारित नहीं किया जा सकता सींव सींव रास्ता कायम रहने में रेस्पोडेन्टगण को कोई अपुरणीय क्षति नहीं हो सकती सुविधा का सन्तुलन भी अपीलार्थी के पक्ष में है विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। अनावेदक नम्बर 6 रतिराम का दिनांक 01.04.2022 को देहान्त हो चुका था मरे हुये व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित करनें में कानूनी गलती की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम गुसाई की ढाणी पटवार हल्का कारी की तन में भूमि खाता संख्या 165 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1946/29, 1948/70, 77 रकबा क्रमशः 1.87, 0.12, 1.10 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 3.09 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 108 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 2071/32, 2075/33 रकबा क्रमशः 0.31, 0.69 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर की खातेदारी आवेदकगण एवं अनावेदकगण संख्या 13 लगायत 15 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार नवलगढ़ की मौका रिपोर्ट में मौके की वास्तविक स्थिति दर्शायी है जिसमें मौके पर फसल खड़ी है। आवेदकगण की उपरोक्त वर्णित आराजी में कभी कोई रास्ता प्रचलन में नही थां, जब रास्ता कभी रहा ही नहीं तो उसे नाजायज रूप से बंद करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, उक्त रास्ता खुलवाने हेतु तहसीलदार नवलगढ़ के यहां अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज करवा कर उक्त प्रकरण में तहसीलदार महोदय के यहां स्थगन आदेश जारी करने की आदेशिका व सत्यप्रतिलिपि पेश करने के बावजूद तहसीलदार द्वारा दिनांक 06.12.2021 को आदेश पारित किया गया है जबकि अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 11.11.2021 को पूर्व में जारी हो चुका था। तहसीलदार नवलगढ़ के निर्णय दिनांक 06.12.2021 की अपील विचाराधीन होना अंकित किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय हाजा द्वारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाए जाने पर कार्यालय तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा दिनांक 17.01.2022 को मौका जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें वर्णित भूमि पर रास्ते अस्तित्व कभी नहीं मानते हुए मौके पर फसल काश्त दर्शायी गयी वहीं दूसरी ओर इसी के संबंध में तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 251 में प्रकरण दर्ज कर निर्णय किया गया। उक्तानुसार तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा न्यायालय हाजा में प्रकरण विचाराधीन एंव स्थगन आदेश प्रभावी रहते निर्णय किया जाना विरोधाभाषी स्थिति को प्रकट करता है। यह निर्विवादित है कि विवादित भूमि कब्जे काश्त का कोई विवाद नहीं है। प्रकरण का निस्तारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उभयपक्ष के साक्ष्य आने पर होना है चूंकि मौके पर कोई प्रचलित रास्ता नहीं है तथा आवेदकगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काबिज है और फसल काश्त कर रखी है इसलिये आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण के पक्ष में बनता है और यदि आवेदकगण की भूमि में से नया रास्ता निकाला जाकर कृषि भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज कर दिया जाता है तो आवेदकगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, इसलिये सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम गुसाई की ढाणी पटवार हल्का कारी की तन में भूमि खाता संख्या 165 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1946/29, 1948/70, 77 रकबा क्रमशः 1.87, 0.12, 1.10 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 3.09 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 108 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 2071/32, 2075/33 रकबा क्रमशः 0.31, 0.69 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर की खातेदारी आवेदकगण एवं अनावेदकगण संख्या 13 लगायत 15 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार नवलगढ़ की मौका रिपोर्ट में मौके की वास्तविक स्थिति दर्शायी है जिसमें मौके पर फसल खड़ी है। आवेदकगण की उपरोक्त वर्णित आराजी में कभी कोई रास्ता प्रचलन में नही था, जब रास्ता कभी रहा ही नहीं तो उसे नाजायज रूप से बंद करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, उक्त रास्ता खुलवाने हेतु तहसीलदार नवलगढ़ के यहां अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज करवा कर उक्त प्रकरण में तहसीलदार महोदय के यहां स्थगन आदेश जारी करने की आदेशिका व सत्यप्रतिलिपि पेश करने के बावजूद तहसीलदार द्वारा दिनांक 06.12.2021 को आदेश पारित किया गया है जबकि अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 11.11.2021 को पूर्व में जारी हो चुका था। तहसीलदार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नवलगढ़ के निर्णय दिनांक 06.12.2021 की अपील विचाराधीन होना अंकित किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय हाजा द्वारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाए जाने पर कार्यालय तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा दिनांक 17.01.2022 को मौका जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें वर्णित भूमि पर रास्ते अस्तित्व कभी नहीं मानते हुए मौके पर फसल काश्त दर्शायी गयी वहीं दूसरी ओर इसी के संबंध में तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 251 में प्रकरण दर्ज कर निर्णय किया गया। उक्तानुसार तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा न्यायालय हाजा में प्रकरण विचाराधीन एंव स्थगन आदेश प्रभावी रहते निर्णय किया जाना विरोधाभाषी स्थिति को प्रकट करता है। यह निर्विवादित है कि विवादित भूमि कब्जे काश्त का कोई विवाद नहीं है। प्रकरण का निस्तारण उभयपक्ष के साक्ष्य आने पर होना है चूंकि मौके पर कोई प्रचलित रास्ता नहीं है तथा आवेदकगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काबिज है और फसल काश्त कर रखी है इसलिये आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण के पक्ष में बनता है और यदि आवेदकगण की भूमि में से नया रास्ता निकाला जाकर कृषि भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज कर दिया जाता है तो आवेदकगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, इसलिये सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर